भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2146

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

सीतापुर में बिजली से वंचित गांव

†2146. श्री राकेश राठौरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सेवता क्षेत्र के कई गाँव और कई अन्य हिस्से आज की तारीख तक बिजली आपूर्ति से वंचित हैं, जिसके कारण हजारों परिवार बिजली के बिना रहने को विवश हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गाँवों की संख्या कितनी है और इन गाँवों में अब तक बिजली आपूर्ति न होने के कारणों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त गाँवों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना क्या है और इन क्षेत्रों में विद्युतीकरण पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में है। भारत सरकार 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने में राज्यों को अनुपूरक सहायता प्रदान कर रही है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत कुल

18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 1,498 गांवों का विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया, जिसमें सीतापुर संसदीय क्षेत्र का 01 गांव भी शामिल है। इसके अलावा, सौभाग्य के तहत, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 91.8 लाख घरों का विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश राज्य में और 1.8 लाख घरों का विद्युतीकरण सीतापुर संसदीय क्षेत्र में किया गया। दोनों स्कीमें 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, जहां भी यह व्यवहार्य पाया गया, 13,65,139 लाख घरों के लिए 6,521 करोड़ रूपये की राशि के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घर, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से संबंधित घर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जातियों (एससी) से संबंधित घर और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के घर शामिल हैं। उपर्युक्त में से, अब तक कुल 2.93 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

सीतापुर संसदीय क्षेत्र में, राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर आरडीएसएस के तहत 4,301 घरों के विद्युतीकरण के लिए कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। स्कीम की समाप्ति तिथि 31.03.2028 है और संस्वीकृत कार्यों को योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने की उम्मीद है।
